

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

वि.आप.प्र.क.क.मांक-38 / 2011
 संस्थित दिनांक-13.12.2011

श्रीमति अनीता पति कुलदीप तेकाम, उम्र 26 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी कुटवाही, थाना खटिया, तहसील बिछिया, जिला मण्डला (म.प्र.)
 द्वारा-पिता हिम्मतसिंह धुर्वे, निवासी सिंगबाघ, वार्ड नं.1, बैहर
 तहसील बैहर, जिला-बालाघाट(म.प्र.) — — — — — आवेदिका

// **विरुद्ध** //

कुलदीप पिता बारेलाल तेकाम, उम्र 30 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी कुटवाही, थाना खटिया,
 तहसील बिछिया, जिला मण्डला (म.प्र.) — — — — — अनावेदक

// **आदेश** //

(आज दिनांक-03.07.2014 को पारित)

- 1- इस आदेश द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता वास्ते भरण-पोषण राशि का निराकरण किया जा रहा है।
- 2- प्रकरण में यह महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य है कि आवेदिका, अनावेदक की विवाहिता पत्नी है तथा आवेदिका वर्तमान में अपने मायके में निवास कर रही है।
- 3- आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में यह है कि उसका विवाह अनावेदक से जून 2006 में गोंड जाति व प्रथा के अनुसार ग्राम सिंगबाघ में सम्पन्न हुआ था। विवाह के पश्चात् अनावेदक के साथ आवेदिका लगभग 6 माह तक ठीक से रही उसके बाद अनावेदक ने उसे दहेज में मोटरसाइकिल और 25,000/-रुपये नगद की मांग करते हुए उसे परेशान कर मारने-पीटने लगा। आवेदिका को अनावेदक विवाह के दो-तीन साल पश्चात् बांझ होने का ताना तथा दूसरी शादी करने की धमकी देते हुए परेशान करने लगा। मार्च 2011 में अनावेदक ने आवेदिका को अपने घर से मारपीट कर भगा दिया तब से वह अपने मायके में पिता पर आश्रित होकर निवास कर रही है। आवेदिका स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है तथा अनावेदक ने उसके भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की। अनावेदक साधन सम्पन्न व कृषि भूमि वाला व्यक्ति है। आवेदिका को 3,000/-रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण राशि अनावेदक से दिलायी जावे।
- 4- अनावेदक ने उक्त आवेदन के जवाब में स्वीकृत तथ्य को छोड़कर

आवेदन के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुये व्यक्त किया है कि आवेदिका विवाह के पश्चात् अनावेदक के साथ रहते हुए बिना कारण के बार-बार मायके जाया करती थी। मार्च 2011 में आवेदिका के मामा की लडकी सुमना ग्राम परसाटोला से अनावेदक के घर उसके पुत्र को लेकर आयी थी और एक रात रुककर ग्राम भंडिया मौसी के घर चली गई, जिस पर आवेदिका, अनावेदक और सुमना के बीच अवैध सम्बंध होने के शक पर अपने मायके चली गई तथा समझाने पर भी नहीं मानी। अनावेदक उसके 15-20 दिन बाद आवेदिका को लाने उसके मायके गया, किन्तु आवेदिका ने उसके साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने से इंकार कर दिया। अनावेदक ने आवेदिका को किसी प्रकार से प्रताड़ित या मारपीट नहीं किया है। अनावेदक, आवेदिका के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना चाहता है, किन्तु आवेदिका स्वच्छंद प्रवृत्ति की महिला होने एवं बिना किसी कारण से आवेदिका, अनावेदक के साथ न रहते हुए मायके में निवासरत् है। अतएव आवेदिका का आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किया जावे।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही है ?
2. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर आवेदिका के भरण-पोषण में उपेक्षा बरत रहा है ?
3. क्या आवेदिका, अनावेदक से प्रतिमाह भरण-पोषण राशि प्राप्त करने की हकदार है ?

विचारणीय बिन्दु कं.-1 से 3 पर एक साथ सकारण निष्कर्ष :-

6- आवेदिका अनीता (आ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन किया है कि विवाह के पश्चात् वह अनावेदक के साथ ग्राम कुटवाही में 5-6 माह तक ठीक से रही उसके बाद अनावेदक उसे दहेज में 25,000/-रुपये एवं मोटरसाइकिल मायके से लाने के लिए परेशान करते हुए शराब पीकर मारपीट करने लगा। उक्त बात उसने मायके वालों को बतायी तो मायके वालों ने अनावेदक को समझाईश दी किन्तु उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है। विवाह के दो-तीन वर्ष पश्चात् उसे संतान न होने पर अनावेदक उसे बांझ होने का ताना देते हुए दूसरी शादी करने की धमकी देता था। अनावेदक ने वर्ष 2011 में होली के समय उसके साथ अत्यधिक मारपीट कर उसे घर से भगा दिया और तब से वह मायके में रह रही है, इस बीच अनावेदक ने उसके खाना-खर्च की व्यवस्था नहीं की। अनावेदक की ग्राम कुटवाही में कृषि भूमि है, जिससे साल में दो फसल प्राप्त करता है तथा बकरी पालन का व्यवसाय करता है। उसे अनावेदक से भरण-पोषण राशि दिलायी जावे।

7— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि वह अनावेदक पर उसकी ममेरी बहन सुमन के साथ अवैध संबंध होने का शक करती है, जिसके बारे में मायके वालों को बताया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने दहेज की मांग के संबंध में थाने में शिकायत की थी। यद्यपि कथित शिकायत के संबंध में आवेदिका की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में अनावेदक पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

8— सुधनसिंह (आ.सा. 2) ने अपनी साक्ष्य में आवेदिका के कथनों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि अनावेदक के द्वारा आवेदिका को विवाह के 6 माह पश्चात् से दहेज की मांग पर से परेशान कर, मारपीट करता था। उसने आवेदिका के पिता के साथ ग्राम कुटवाही में जाकर अनावेदक को समझाया था। अनावेदक ने मार्च 2011 में आवेदिका को मारपीट कर भगा दिया, तब से वह अपने मायके में पिता पर आश्रित होकर रह रही है और उसके पश्चात् अनावेदक ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। अनावेदक की 5-6 एकड़ कृषि भूमि है, जिससे साल में दो फसल प्राप्त होती है तथा वह बकरी पालन का भी कार्य करता है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मार्च 2011 के बाद अनावेदक और उसके पिता आवेदिका को लेने आये होंगे तो उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि अनावेदक का सुमन के साथ अवैध संबंध होने के शक पर आवेदिका, अनावेदक से विवाद करती थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आवेदिका खेती बाड़ी के समय काम करने जाती है, किन्तु साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आवेदिका स्वयं का भरण-पोषण कर लेती है। साक्षी का स्वतः कथन है कि आवेदिका अपने पिता पर आश्रित है। इस प्रकार साक्षी के कथन का अनावेदक की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

9— अनावेदक कुलदीप (अना.सा. 1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि विवाह के पश्चात् आवेदिका 3-4 साल तक उसके साथ ठीक से रही, वह अपनी मर्जी से मायके आती थी तो उसे किसी तरह ले जाता था। उसके सुमन से अवैध संबंध होने के शक पर आवेदिका झगड़ा करती थी और उसके पश्चात् मायके आ गई। वह एवं उसके पिता आवेदिका को लेने मायके गये थे तथा वह भी स्वयं आवेदिका को लेने गया था, किन्तु आवेदिका नहीं आयी। उसके परिवार में उसके अलावा वृद्ध माता-पिता और एक बहन है। उसके परिवार में आय का कोई साधन नहीं है। वह आवेदिका को साथ में रखना चाहता है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके पिता वन विभाग में शासकीय कर्मचारी थे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि उसने, आवेदिका से दहेज की मांग की थी तथा

आवेदिका को बांझ होने का ताना देते हुए मारपीट करता था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने वर्ष 2011 से आवेदिका के भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की।

10— अनावेदक ने अपने समर्थन में नोहरसिंह (अना.सा.2) एवं संतकुमार (अना.सा.3) की साक्ष्य करायी है, जिन्होंने ने अपनी साक्ष्य में अनावेदक का समर्थन किया है। उक्त साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अनावेदक के पिता वन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी है। नोहरसिंह (अना.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अनावेदक का ग्राम कुटवाही में मकान एवं खेती है। अनावेदक का खेत उसके खेत से 2-3 कि.मी. दूरी पर है। नोहरसिंह (अना.सा.2) एवं संतकुमार (अना.सा.3) क्रमशः अनावेदक का मौसरा भाई एवं पड़ोसी है। इन साक्षीगण ने आवेदिका का अपने इच्छा से अनावेदक से पृथक निवास करने की साक्ष्य पेश की है, जो कि विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

11— आवेदिका अनीता (आ.सा.1) एवं सुधनसिंह (आ.सा.2) की साक्ष्य अखण्डित रही है तथा उनके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है, जबकि अनावेदक कुलदीप (अना.सा.1) व उसकी ओर से प्रस्तुत साक्षीगण नोहरसिंह (अना.सा.2) एवं संतकुमार (अना.सा.3) की साक्ष्य इस संबंध में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है कि आवेदिका बिना कारण के अपनी मर्जी से मायके में निवास कर रही है। इस प्रकार उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदिका को अनावेदक के द्वारा दहेज की मांग को लेकर और उसके निःसंतान होने से बांझ होने के ताने देने एवं मारपीट कर प्रताड़ित करने के आधार पर आवेदिका मजबूर होकर अपने मायके में निवास कर रही है। इस प्रकार आवेदिका का अनावेदक से पृथक निवास करने का पर्याप्त कारण प्रकट होता है।

12— प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक के पास ग्राम कुटवाही में कृषि भूमि है तथा अनावेदक के पिता सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी है। अनावेदक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति होकर आय अर्जित करने में सक्षम होना प्रकट होता है। ऐसी दशा में अनावेदक कृषि भूमि की फसल एवं स्वयं मजदूरी कर अपना एवं आवेदिका का भरण-पोषण करने में सक्षम व्यक्ति है। अनावेदक के पिता पेंशनधारी होने से अनावेदक पर उसके माता-पिता और बहन के भरण-पोषण का सम्पूर्ण दायित्व होना परिलक्षित नहीं होता है। अनावेदक के द्वारा निश्चित आय अर्जित करने के साधन के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, किन्तु उभयपक्ष की मौखिक साक्ष्य से अनावेदक के द्वारा 6000/-रुपये प्रतिमाह आय अर्जन करने की उपधारणा की जा सकती है। अनावेदक कुलदीप (अना.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आवेदिका के मायके में रहने के दौरान उसने आवेदिका को भरण-पोषण राशि नहीं दी है।

13— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक् रह रही है तथा अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर आवेदिका के भरण-पोषण में उपेक्षा बरत रहा है। इस कारण आवेदिका, अनावेदक से प्रतिमाह भरण-पोषण राशि प्राप्त करने की हकदार है। आवेदिका को अनावेदक की पत्नी के रूप में ऐसा जीवन स्तर के निर्वहन का अधिकार है, जो कि न तो विलासिता पूर्ण हो और न ही अभाव ग्रस्त बल्कि वह उसके पति के सामाजिक स्तर व चरित्र के अनुसार सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके।

14— उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों के विश्लेषण के निष्कर्ष उपरान्त आवेदिका का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर पक्षकारगण के सामाजिक व जीवन यापन स्तर तथा वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि भरण-पोषण के रूप में आवेदिका को राशि 1000 /- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)